हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

बारहवां सत्र

शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद,1938 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए
   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2)) **अतारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण), अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16; और

   (ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 ।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, निदेशक, कृषि, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एग्र0ए0-ए(3)-2/2014 दिनांक 27.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.06.2016 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, सहायक निदेशक(विधि), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एग्र0ए0-बी(2)-6/2014 दिनांक 19.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2016 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एग्र0ए0(3)-4/2005 दिनांक 20.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2016 को प्रकाशित; और

(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **146वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **147वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **148वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 47वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **22वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) जोकि समिति के 41वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **विद्युत विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **23वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 35वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **विद्युत विभाग** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **59वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

(4) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **28वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(5) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग** द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि विद्या, अध्यापन, अनुसंधान के उद्देश्य की अभिवृद्धि के लिए और विधि के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 15)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(ii) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में खुली सिगरेटों और बीड़ियों का विक्रय प्रतिषिद्ध करने तथा सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन करने तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 18)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(iii) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940(1940 का 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 20)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(iv) श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16)	अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(v) श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम

हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17)	अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171 004   सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 24 अगस्त, 2016   सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

बारहवां सत्र

शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त, 2016, को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री महेन्द्र सिंह:	"यह सदन सरकार से मांग करता है कि प्रदेश में जंगली जानवरों/आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए एक वृहद योजना बना कर वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को भेजी जाए ।"
उक्त के अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव जो दिनांक 06-04-2016 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है पर आगे चर्चा होगी ।		
1.	श्री गुलाब सिंह ठाकुर:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में एक ही समुदाय व व्यवसाय से जुड़े तरखान जाति (OBC) को लोहार जाति की तर्ज पर अनुसूचित जाति (SC) में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए ।"

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

*****